

न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त कोटा संभाग, कोटा
(निर्णय बईजलास ममता कुमारी तिवारी आर0ए0एस0 अति0संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्या: 45/2021/अपील/एलआरएक्ट/झालावाड़
दायरा दिनांक: 09.11.2021
अन्तर्गत धारा: 76 राज0भू राजस्व अधि0, 1956

उनवान

औकारलाल आ0 धुरालाल जाति सुथार निवासी देवरिया कावल तहसील गंगधार, जिला झालावाड़

...अपीलांत

बनाम

राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार गंगधार, जिला झालावाड़

... रेस्पोडेन्ट

स्थित : श्री चन्द्रप्रकाश खण्डेलवाल अभिभाषक -अपीलांत
पेरोकार सरकार - रेस्पो0

::निर्णय::

दिनांक 26.09.2024

अपीलांत ने न्यायालय अति0 जिला कलक्टर झालावाड़ (संक्षेप में प्रथम अपीलीय न्यायालय) द्वारा प्रकरण सं0 68/2020 बउनवान औंकारलाल बनाम राज0 सरकार में पारित निर्णय दिनांक 24.02.2021 (संक्षेप में अपीलाधीन निर्णय) के विरुद्ध यह द्वितीय अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 अन्तर्गत इस न्यायालय में पेश की गई।

- 1 प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि न्यायालय तहसीलदार, गंगधार द्वारा पटवारी हल्का रनायरा की भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 की रिपोर्ट अनुसार अपीलांत औंकारलाल आ0 धुरालाल जाति सुथार निवासी देवरिया कावल द्वारा संवत 2077 में ग्राम देवरिया कावल की भूमि खसरा संख्या 698/2 रकबा 2.17 बीघा किस्म काबिल काश्त पर कब्जा कर सोयाबीन बोकर अतिक्रमण कर रखा है। न्यायालय तहसीलदार गंगधार द्वारा प्रकरण दर्ज कर अपीलांत को पश्चातर्वी अतिक्रमी मानते हुए 157 रूपये शास्ति व 30 दिन के सिविल कारावास के दण्ड से निर्णय दिनांक 17.09.2020 से दण्डित किया गया। जिसके विरुद्ध अपीलांत द्वारा प्रथम अपीलीय न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर झालावाड़ को अपील पेश किये जाने पर प्रकरण में निर्णय दिनांक 24.02.2021 से अपील अपीलांत खारिज की गई। उक्त हरदो निर्णय अधीनस्थ न्यायालय से व्यथित होकर अपीलांत ने द्वितीय अपील राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 76 अन्तर्गत न्यायालय हाजा में इस आशय की अपील पेश की गई कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय साक्ष्य के विरुद्ध होने से अपास्त योग्य हैं। अपीलांत का कोई कब्जा आराजी खसरा संख्या 698/2 रकबा 2.17 बीघा की काबिल काश्त भूमि पर नहीं है तथा पेनल्टी की राशि भी जमा करा दी गयी है, तथा कब्जा छोड़ने का प्रमाण पत्र माननीय न्यायालय में पेश कर देगा। अपीलांत को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया तथा अपीलांत की गैरमौजूदगी में निर्णय पारित कर पश्चातर्वी अतिक्रमी मानते हुए सिविल कारावास जैसे कठोर दण्ड से दण्डित किया गया है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया।

अति. स. आयुक्त
26-9-2024

- 2 अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्प0 को जरिये नोटिस/सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने उपरांत प्रकरण में बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्प0 पैरोकार सरकार सुनी गई।
- 3 विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील में उल्लेखित तथ्यों के परिपेक्ष्य में कथन किया कि अपीलांट का कोई कब्जा आराजी खसरा संख्या 698/2 रकबा 2.17 बीघा की काबिल काश्त भूमि पर नहीं है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया तथा अपीलांट की गैरमौजूदगी में निर्णय पारित कर पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानते हुए सिविल कारावास जैसे कठोर दण्ड से दण्डित किया गया है। अतः अपील स्वीकार कर निर्णय हरदो अधीनस्थ न्यायालय निरस्त करने का अनुरोध किया।
- 4 रेस्प0 पैरोकार सरकार ने अपीलांट के कथन का खण्डन करते हुए जाहिर किया कि अपीलांट द्वारा संवत् 2077 में ग्राम देवरिया कांवल की काबिल काश्त भूमि खसरा संख्या 698/2 रकबा 2.17 बीघा किस्म काबिल काश्त पर कब्जा कर सोयाबीन बोकर अतिक्रमण करने पर न्यायालय तहसीलदार गंगधर द्वारा अपीलांट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानते हुए 157 रुपये शास्ति व 30 दिन के सिविल कारावास के दण्ड से निर्णय दिनांक 17.09.2020 से दण्डित किया गया। प्रथम अपीलीय न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर झालावाड़ ने भी अपीलांट को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान कर परीक्षणोपरांत जेरअपील निर्णय पारित किया गया है। अतः अधीनस्थ न्यायालयों के द्वारा पारित उक्त हरदो निर्णय न्यायोचित है। अतः अपील खारिज की जावे।
- 5 हमने अपील एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का आध्योपांत अवलोकन कर बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्प0 पैरोकार सरकार पर मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध आधार अभिलेख एवं आलौच्य जेरअपील निर्णय के अवलोकन से प्रकट होता है कि न्यायालय तहसीलदार, गंगधर द्वारा पटवारी हल्का रनायरा की भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 की रिपोर्ट अनुसार अपीलांट औंकारलाल आ0 धुरालाल जाति सुथार निवासी देवरिया कावल द्वारा संवत् 2077 में ग्राम देवरिया कांवल की काबिल काश्त भूमि खसरा संख्या 698/2 रकबा 2.17 बीघा किस्म काबिल काश्त पर कब्जा कर सोयाबीन बोकर अतिक्रमण करने पर पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानते हुए 157 रुपये शास्ति व 30 दिन के सिविल कारावास के दण्ड से निर्णय दिनांक 17.09.2020 से दण्डित किया गया। प्रथम अपीलीय न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर झालावाड़ द्वारा अपीलांट के सम्बत् 2076 में भी उक्त आराजीयात पर अतिक्रमण किया जाने से अपीलांट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी की श्रेणी में आने के परिणामस्वरूप निर्णय दिनांक 24.02.2021 से अपील अपीलांट खारिज की गई। प्रश्नगत प्रकरण में अपीलांट का मुख्य तर्क है कि अपीलांट का कोई कब्जा आराजी खसरा संख्या 698/2 रकबा 2.17 बीघा की काबिल काश्त भूमि पर नहीं है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया तथा अपीलांट की गैरमौजूदगी में निर्णय पारित कर पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानते हुए सिविल कारावास जैसे कठोर दण्ड से दण्डित किया गया है। अपीलांट के उपरोक्त तर्कों के संबंध में अपील एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध आधार अभिलेख एवं जेरअपील निर्णय के अवलोकन पश्चात् हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि न्यायालय तहसीलदार गंगधर द्वारा संवत् 2076 में अपीलांट द्वारा अतिक्रमण करने पर प्रकरण संख्या 193 निर्णय दिनांक 22.10.2019 से बेदखल किया गया था तथा 157 रुपये शास्ति कायम की गई थी। इसके पश्चात् अपीलांट औंकारलाल द्वारा पटवारी हल्का रनायरा से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार संवत् 2077 में ग्राम देवरिया कांवाल की काबिल काश्त भूमि खसरा संख्या 698/2 रकबा 2.17 बीघा किस्म काबिल काश्त पर कब्जा कर सोयाबिन बोकर अतिक्रमण किये जाने पर प्रकरण दर्ज किया जाकर दिनांक 04.09.2020

अति. सं. आयुक्त
कोटा
26-9-2024

से अपीलांट को नोटिस जारी कर अपीलांट के बावजूद नोटिस के उपस्थित नहीं होने पर दिनांक 17.09.2020 से बेदखल किया गया, जिस पर अपीलांट औकारलाल के हस्ताक्षर अंकित हैं। साथ ही अपीलांट द्वारा पूर्व में भी संवत् 2076 में उक्त आराजी पर अतिक्रमण करने तथा पटवारी हल्का रनायारा से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार पुनः संवत् 2077 में ग्राम देवरिया कांवाल की काबिल काशत भूमि खसरा संख्या 698/2 रकबा 2.17 बीघा किस्म काबिल काशत पर अतिक्रमण किये जाने से अपीलांट पश्चातवर्ती श्रेणी में होने से न्यायालय तहसीलदार गंगधार द्वारा अपीलांट को 157 रूपये शास्ति व 30 दिन के सिविल कारावास के दण्ड से निर्णय दिनांक 17.09.2020 से दण्डित किया गया। प्रथम अपीलीय न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, झालावाड़ प्रकरण में अपीलांट को समुचित सुनवाई एवं साक्ष्य पेश करने का अवसर प्रदान किया जाकर प्रकरण में कोई कानूनी बिन्दु निहित नहीं होने के परिणामस्वरूप अपील अपीलांट निर्णय दिनांक 24.02.2021 से खारिज की गई है। इस प्रकार अपीलांट के इस कथन की पुष्टि नहीं होती है कि बिना सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान किये हरदो अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा निर्णय पारित किया गया हो। साथ ही अपीलांट द्वारा न्यायालय हाजा में ऐसे कोई साक्ष्य एवं तथ्य पेश नहीं किये गये हैं, जिससे अपीलांट के कथनों की पुष्टि होती हो। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में तथ्यों का समुचित परीक्षण कर एवं अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान कर, उपलब्ध रिकॉर्ड, दस्तावेजों के आधार पर जेरअपील निर्णय दिनांक 24.02.2021 पारित किया है, जिसमें हम किसी प्रकार का विधिक एवं तथ्यात्मक दोष नहीं पाते हैं। लिहाजा अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय न्यायोचित होने से किसी प्रकार के हस्तक्षेप की गुंजाइश नहीं है। परिणाम स्वरूप उपरोक्त विवेचन अनुसार अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन/बलहीन होने से खारिज की जाती हैं।

- 6 निर्णय आज दिनांक 26.09.2024 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर सरे ईजलास सुनाया गया।

26-9-2024
(ममता कुमारी तिवारी)
अतिरिक्त न्यायालय आयुक्त
कोटा